

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-92 / 2017-18

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
24.07.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 819, दिनांक 21.07.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 21.07.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक गंगाराम उगुरसंडी, पिता-स्व० सीताराम उगुरसंडी, जाति-हो (अ.ज.जा.) ग्राम-कोलचकरा, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-कोलचकरा, थाना नं०-67, खाता नं०-139, प्लॉट नं०-626, रकवा रकवा 08 डि० 400 वर्गकड़ी, क्रेता सीताराम हेम्ब्रम, पिता-बुधराम हेम्ब्रम, ग्राम-ओटार, जाति-हो (अ.ज.जा.), थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इशतेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक गंगाराम उगुरसंडी, पिता-स्व० सीताराम उगुरसंडी, जाति-हो (अ.ज.जा.) ग्राम-कोलचकरा, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इशतहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम चाईबासा के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति हो (अ.ज.जा.) समुदाय के सदस्य हैं।</p> <p>बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि चिकित्सा हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात बिक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 3.75.600 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इशतेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता सीताराम हेम्ब्रम, पिता-बुधराम हेम्ब्रम, ग्राम-ओटार, जाति-हो (अ.ज.जा.), थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराये।</p> <p>लेखापित</p> <p><i>Bun</i> 24.7.18</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p> <p><i>Bun</i> 24.7.18</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर</p>	